

फर्द अहकाम

~~सुपरकोट इलेक्ट्रिकली जलनारायणगढ़ (जामशु)~~

बनाम कामपकाडा वर्ग

संख्या / वर्ष : 25 / 20 22

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
---------------------------	----------------------	-------------


07/02/22 यह वाद वादी की ओर से आज्ञा के द्वारा S3, 1100 R.T. Act के तहत एडवोकेट रामसिंह शर्मा जे पेश किया पत्रावली कार्यालय रिपोर्ट लेकर प्राप्त हुई प्रकरण दर्ज बखिरसत हो तत्पश्चात् प्रतिवादीगणों की जारी होकर पत्रावली दिनांक 11/03/2022 को पेश हो CP
सहायक अधिकारी
जामशु जिला-जमशु

11/03/22 पत्रावली पेश हुई एकीकृत वादी उपर पत्रावली पूर्वानुसार वास्तु तलेवी/पंचायत द्वारा दिनांक 16/05/2022 को पेश हो CP
सहायक अधिकारी
जामशु जिला-जमशु

16/05/22 पत्रावली पेश हुई एकीकृत वादी उपर पत्रावली पूर्वानुसार वास्तु तलेवी/पंचायत द्वारा दिनांक 29/6/22 को पेश हो

29/6/22 पत्रावली पेश हुई, आधेवक्ता सब द्वारा अपडोलेंस/कार्य का वहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 01/07/22 पेश हुई CP

01/07/22 पत्रावली पेश हुई, आधेवक्ता सब द्वारा अपडोलेंस/कार्य का वहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 01/07/22 पेश हुई CP

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	30/9/22	<p>जाही ने परिश्रे एड. श्री रमाशंकर शर्मा के एक प्रार्थना पत्र दावा किशो करने बाबत पेश करने पर प्रभावली तलाक की गई। जाही के वकील जाही को हुना गजा। प्रभावली को आवलेकन किशो गजा। जाही का दावा किशो प्रार्थना पत्र लीकाल कल उपलब्ध को श्वारिज किशो जाहा है प्रभावली केसिल शुभाह होकर नम्बर ले कर है, वाड शरीर दारिद्र्य करत है।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जमशारामगढ़ </p>